

प्रेस नोट
थाना नवाबाद जनपद झाँसी

दिनांक 09.07.2026

- जनपद झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही,
- महिला को शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाने वाला वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में दिनांक 08.07.2026 को थाना नवाबाद पुलिस द्वारा थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 310/26 धारा 69/352/351(3) बीएनएस मे वांछित अभियुक्त मोहित राजपूत पुत्र महेश कुमार राजपूत निवासी ग्राम अटरिया थाना मोठ जिला झाँसी उम्र करीब 22 वर्ष को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर जिला कारागार भेजा गया।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 17.06.2026 को आवेदिका द्वारा दाखिल किये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर बावत अभि0 द्वारा वादिया को शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाना व शादी की बात करने पर गाली-गलौज करना व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में मे अभि0 मोहित राजपूत पुत्र महेश राजपूत निवासी ग्राम अटरिया थाना मोठ जिला झाँसी के विरुद्ध थाना स्थानीय पर अ0सं0 310/26 धारा 69/352/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया, अभियुक्त की गिरफ्तारी व तलाश के प्रयासों से दिनांक 08/07/2026 को थाना नवाबाद पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त मोहित राजपूत पुत्र महेश कुमार राजपूत निवासी ग्राम अटरिया थाना मोठ जिला झाँसी उम्र करीब 22 वर्ष को मेडिकल बाई पास पर बन रहे ओवरब्रिज के नीचे से सकुशल गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

नाम पता अभियुक्त –

मोहित राजपूत पुत्र महेश कुमार राजपूत निवासी ग्राम अटरिया थाना मोठ जिला झाँसी उम्र करीब 22 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. प्र0नि0 श्री रवि श्रीवास्तव थाना नवाबाद जिला झाँसी
2. उ0नि0 श्री नवीन सिंह थाना नवाबाद जिला झाँसी
3. का0 1133 राजकुमार थाना नवाबाद जिला झाँसी